NEAR THE PROPERTY OF THE PROPE



F-07-07

सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION

IS/ISO: 9001:2008

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु
MARATHAHALLI COLONY P.O.,

BENGALURU - 560 037.

वर्ग अनुमोदन सं . 1870/ Type Approval No. 1870

मद/FOR ITEM: मिग-29 वायुयान हेतु पाइलट पैराशूट पी एस यू-36 Pilot Parachute PSU – 36 for MiG - 29 Aircraft

यह प्रमाणित किया जाता है कि एडीआरडीई, पोस्ट बोक्स सं.51, स्टेशन रोड, आगरा कैंट-282 001, आगरा द्वारा अभिकल्पत एवं विकसित तथा एडीआरडीई, आगरा के अलावा मेसर्स ऑर्डिनेन्स पैराशूट फैक्टरी, नेपियर रोड, कानपुर-208 004, द्वारा उत्पादित, " मिग-29 वायुयान हेतु पाइलट पैराशूट पी एस यू-36", को आरेखन सं. एडीआरडीई/1.2.03-00, रिविजन सं./इश्यू सं. सी, के अनुसार मिग-29 वायुयान में उपयोग हेतु उत्पादन के लिए अनुमोदित किया जाता है। यह आर सी एम ए (कानपुर) के समन्वय से तकनीकी विनिर्देश संदर्भ सं. एडीआरडीई/क्यूएमएस/पीजी/पीएएस/258/पीपी/पीएसयू-36/तकनीकी विनिर्देश, दिनांकः जनवरी 2015 और टेस्ट शेड्यूल संदर्भ सं. एडीआरडीई/क्यूएमएस/पीजी/पीएएस/258/पीपी/पीएसयू-36/टीएस, दिनांकः जनवरी 2015, के अनुसार परीक्षित किया गया है। यह परिशिष्ट 'ए' में संलग्न वर्ग रिकार्ड कम्प्लायन्स स्टेटमेंट में विवरित आवश्यकताओं को पूर्ण कर चुका है।

This is to certify that the "Pilot Parachute PSU - 36 for MiG -29 Aircraft" designed and developed by ADRDE, Post Box No. 51, Station Road, Agra Cantt - 282 001, Agra and manufactured by ADRDE, Agra as well as M/s Ordnance Parachute Factory, Napier Road, Kanpur - 208 004 is hereby approved for production as per Drawing No.: ADRDE/1.2.03-00, Rev. No./Issue No.: 'C', for use in MiG - 29 Aircraft. It has been tested in co-ordination with **RCMA** (Kanpur) **Technical** as per Specification Ref. ADRDE/QMS/PG/PAS/258/PP/PSU - 36/Tech Spec, Dt. Jan 2015 and Test Schedule Ref. No. ADRDE/QMS/PG/PAS/258/PP/PSU-36/TS. Dt. Jan 2015. It has met the requirements as detailed in type record compliance statement enclosed at Appendix 'A'.

ਪੁਲ/Page 01 of 02

ਧੂਬ/Page 02 of 02 ਟੀ ਧੁ ਚੰ./TA No. 1870 F-07-07

2. इस वर्ग अनुमोदन को जारी करने के फलस्वरूप उत्पाद को प्रदत्त अंतरिम निकासी सूपरसीड होती है। इसके उत्पादन के लिए अपनाई विधि को अब से सील कर दिया जाता है। उपरोक्त वर्ग अनुमोदन संख्या को सभी संलग्न आरेखन, संविदा तथा रिलीज़ नोट्स में उल्लेखित किया जाना चाहिए।

The Provisional Clearances accorded for this product are hereby superceded consequent to issuance of this Type Approval. The process adopted to manufacture this product is sealed henceforth. The Type Approval number quoted above must be reflected in all relevant drawings, contracts & release notes.

3. यह वर्ग अनुमोदन 31 दिसंबर 2020 तक वैध है बशर्ते कि इसे स्थगित, निरस्थ या रद्द नहीं किया जाता तदुपरांत इसका नवीकरण करवाना होगा। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अविध समाप्त होने के तीन महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्वाजें के साथ आर सी एम ए (कानपुर), से अनुरोध करना होगा।

This Type Approval is valid up to 31st Dec 2020 unless otherwise cancelled or suspended or revoked and will have to be renewed subsequently. The vendor shall request RCMA (Kanpur), for subsequent renewal, three months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback.

4. अगर इस अनुमोदन को किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरण करना हो या संलग्न टाइप रिकोर्ड में इंगित एसओपी के अनुसार निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलैक), बेंगलूरु की पूर्व सहमित लेनी होगी।

Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru, will have to be obtained if this approval is to be transferred to any other agency or changes, if any, to the SOP and declared to the performance indicated within the Type Record enclosed herewith are effected.

5. यह वर्ग अनुमोदन, थोक उत्पादन के लिए डी.जी.ए.क्यू.ए, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वार गुणवत्ता नियंत्रण पक्ष की निकासी एवं स्पष्ट रूप से दर्शाए गए प्रोसेस के कड़े अनुपालन पर आधारित है।

This approval is contingent upon strict adherence to the process demonstrated and the quality control aspects for bulk production being cleared by DGAQA, Ministry of Defence, Government of India.

संलग्न/Encl: परिशिष्ट 'ए' /Appendix 'A' सं./No.: सेमिलैक/CEMILAC/5070/ टी.ए/TA-1870

दिनांक/Date : ा **ा December 2015** फैक्स सं./Fax No: 080-25230856

Ontalis

2112/18

पी जयपाल / **P.JAYAPAL** मुख्य कार्यपालक(उड़नयोग्यता)/ Chief Executive (Airworthiness) /